

2026/141

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
चन्द्रसिंह  
बाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट  
बनाम  
मुन्नी कंवर आदि  
प्रकरण संख्या 112 वर्ष 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
06.03.2026	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्बी किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16.03.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">०११</p>	
16/3/2026	<p>बहुलाए फर्टिमें उपस्थित। उत्तरवादी सं. 1 नं 7 ने जरीये वकील श्री विनोड कुमार उपस्थित बाबर जमाना दाव्य पेश किया। जमाना स्टे छार इशा। पत्रावली वाले साम्म आईन्दा ता 23/3/2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">०१</p>	
23/3/2026	<p>बहुलाए फर्टिमें उपस्थित। वादी जरीयेवादी लाम्म फावाना नही चाहते। बहुलाए फर्टिमें की कसब सुनी गई। पत्रावली का दिवलोका किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिमांड व आपसी सहमति के आधार पर बाद वादी बिकी किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर अगमिल फाईल किया जावे। पत्रावली नम्बर ले इस की जमाना न्याविल इजाजत हो।</p> <p style="text-align: center;">०१</p>	

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

